

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2979 / 2023

दिनांक : 06 .10.2023

श्री सतीश चन्द कौशिक (RJ00236), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, नागौर को दिनांक 16.08.2023 से 19.08.2023 तक 04 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री कौशिक की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, नागौर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, नागौर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
05-10-2023

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/48/1996/6420

दिनांक 06 .10.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, नागौर को उनके पत्रांक 116 दिनांक 21.08.2023 के सन्दर्भ में।
3. श्री सतीश चन्द कौशिक (RJ00236), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, नागौर।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, नागौर।

सहायक रजिस्ट्रार
6/10/23